स्टार्टअप्स के साथ सहयोग हेतु नीति

संस्करण: 1.0 दिनांक: 28 जून, 2023

एमएसटीसी लिमिटेड,
स्ट्रीट नंबर – 175,
प्लॉट नंबर – सीएफ 18/2,
एक्शन एरिया – 1सी न्यूटाउन
कोलकाता – 700156

दस्तावेज़ संशोधन का इतिहास

संशोधन तिथि	संशोधन विवरण	संस्करण संख्या	संशोधन किया गया
28.06.2023	प्रारंभिक प्रकाशन	**1.0**	**-**

स्टार्टअप्स के साथ सहयोग हेतु नीति

1.0 अवलोकन:

स्टार्टअप्स इंडिया, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में स्टार्टअप (अनुभाग 4.0 देखें - संदर्भ) को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। एमएसटीसी ने सरकार के इस परिकल्पना के आधार पर एक मिशन की शुरूआत की है, जिसके तहत योग्य विचारों के पल्लवन, पोषण और प्रोत्साहन के माध्यम से भारत में स्टार्ट-अप क्रांति को प्रोत्साहित किया जाएगा। उपरोक्त मिशन के अनुरूप तथा लगातार बदलते कारोबारी माहौल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, एमएसटीसी लिमिटेड को एक उपयुक्त स्टार्टअप नीति अपनाने की ज़रूरत है। इस नीति को विभिन्न स्टार्टअप एजेंसियों के साथ सीधे या देश में शैक्षणिक संस्थानों (जैसे आईआईटी, अन्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान संस्थान आदि) के माध्यम से जुड़ने के लिए रणनीति तैयार करने की योजना है।

2.0 उद्देश्य:

इस पहल का उद्देश्य निम्नलिखित में से कुछ भी हो सकता है:

i) कंपनी के लिए नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना और उनका लाभ उठाना।

ii) उभरती एवं भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना।

iii) व्यवसाय के बाह्य/आंतरिक संदर्भ में परिवर्तनों से निपटना।

iv) ऐसे क्षेत्रों/उपयोग मामलों की पहचान करना, जो बड़े पैमाने पर समाज को लाभ पहुंचा सकें, तथा जिनकी कुछ सामाजिक प्रासंगिकता हो।

v) कंपनी के वर्तमान व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों के लिए प्रचालन दक्षता और तकनीकी क्षेत्र दोनों पर कार्यात्मक क्षेत्रों की वर्तमान बाधाओं या कमज़ोर बिंदुओं को संबोधित करना।

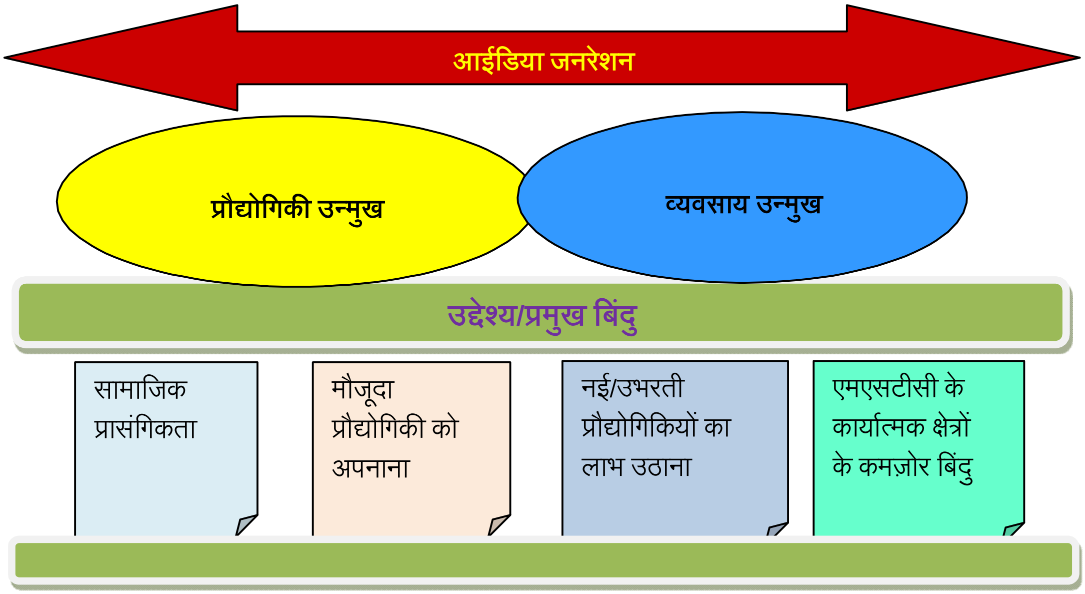

3.0 नीति:

क. प्रारंभ और प्रायोजन:

i) **बजट :** अनुसंधान एवं विकास, नवाचार या उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित स्टार्टअप परियोजनाओं हेतु प्रारंभ में बजट निर्धारित करने की आवश्यकता है। यह बजट समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा, जिसमें डीपीई ने सलाह दी थी कि पीबीटी का 2% अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के लिए आवंटित किया जा सकता है। आवंटित बजट के लिए बोर्ड से अनुमोदन लिया जाएगा और यह बजट अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर खर्च की ऊपरी सीमा होगी। हालाँकि, यदि आवंटित निधि का उपयोग दिए गए वर्ष के लिए नहीं किया गया , तो चालू परियोजना के लिए शेष निधि को अगले 3 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

ii) **परियोजना और स्टार्टअप की पहचान**: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा एक अंतर-विषयी समिति (जिसे स्टार्ट-अप समिति कहा जाएगा) का गठन किया जाएगा, जो उन परियोजनाओं की पहचान के लिए जिम्मेदार होगी जहां स्टार्ट-अप पहल की जानी है, साथ ही इस दस्तावेज के खंड 3.ख में वर्णित नीति के आधार पर स्टार्ट-अप का चयन भी करेगी।

iii) **निधि का संवितरण**: अनुमोदित परियोजनाओं के बीच निधि वितरित करने के लिए लक्ष्य आधारित निधि संवितरण को अपनाया जाएगा। स्टार्ट-अप समिति परियोजना के लक्ष्यों की पहचान करेगी, प्रगति का मूल्यांकन करेगी तथा भुगतान के संवितरण को मंजूरी देगी।

iv) **निधीयन/प्रायोजन के तरीके:** एमएसटीसी द्वारा वित्तपोषण/प्रायोजन निम्नलिखित में से किसी भी संयोजन में हो सकता है जैसे - धन, उपकरण, जनशक्ति और किसी भी स्थान पर अन्य प्रशासनिक संसाधन।

ख. स्टार्टअप का चयन:

क) सामान्य:

सहयोगात्मक कार्य, आउटसोर्सिंग या अन्य संयुक्त गतिविधियों के लिए स्टार्टअप का चयन करते समय पहचान, समीक्षा के लिए निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देश पर विचार किया जाना चाहिए।

- स्टार्टअप को https://www.startupindia.gov.in पर पंजीकृत होना चाहिए
- स्टार्टअप के पास किसी उत्पाद या सेवा को बाजार के अनुकूल, व्यवहार्य व्यावसायीकरण और मापन के दायरे के साथ विकसित करने का एक व्यावसायिक योजना होना चाहिए।
- स्टार्टअप को अपने मुख्य उत्पाद या सेवा, या व्यापार मॉडल, या वितरण मॉडल, या कार्यप्रणाली में लक्षित समस्या के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए।
- ई-कॉमर्स, सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास और व्यापार विस्तार को बढ़ाने के लिए, उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग, रीसाइक्लिंग, लौह एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों में अभिनव समाधान बनाने वाले स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी।
- कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अनुसार, योजना के पल्लवन के लिए आवेदन के समय स्टार्टअप में भारतीय संरक्षक की शेयरधारिता कम से कम 51% होनी चाहिए।
- स्क्रीनिंग समिति: स्टार्ट-अप समिति स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होगी।
- औपचारिक संविदा: एमएसटीसी और पक्ष के बीच एक औपचारिक संविदा स्थापित किया जाएगा, जिसके नियम व शर्तों पर दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की जाएगी।
- पक्षों के बीच एक गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

ख) मूल्यांकन के मानदंड:

परियोजनाओं/विचारों/कार्य क्षेत्र के मूल्यांकन हेतु नीचे दिए गए मानदंडों का उपयोग किया जा सकता है।

अंक	मानदंड	विवरण	अंक (भार)
1	नवीनता	प्रौद्योगिकी की यूएसपी, संबद्ध आईपी	एस (15%)

2	इस विचार की आवश्यकता	बाजार का आकार, बाजार में क्या कमी पूरी होगी और एमएसटीसी को इससे क्या लाभ होगा? इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग एमएसटीसी के अपने विजन-मिशन-उद्देश्यों से किस हद तक संबंधित है?	पी **(15%)**
3	तकनीकी व्यवहार्यता और संभावित प्रभाव और जोखिम एवं शमन	तकनीकी दावों की व्यवहार्यता और उचितता, प्रयुक्त/प्रयुक्त की जाने वाली कार्यप्रणाली और उत्पाद विकास के लिए सत्यापन जिसमें जनसांख्यिकी और इन पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, राष्ट्रीय महत्व (यदि कोई हो) शामिल है। संभावित जोखिमों और उनके शमन योजना का भी आकलन किया जाना है।	क्यू **(20%)**
4	टीम	टीम की ताकत, तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता।	टी **(10%)**
5	वित्तीय व्यवहार्यता	प्रस्तुत योजना/उत्पाद की वाणिज्यिक/व्यावसायिक क्षमता	वी **(10%)**
6	योजना एवं प्रस्तुति	योजना की स्पष्टता, एमएसटीसी के लक्ष्य के साथ संरेखण, बदलते व्यापार परिदृश्य के साथ अनुकूलनशीलता आदि का समग्र मूल्यांकन।	डबल्यू **(30%)**
			100%

चयन दो चरणों/स्तरों पर आधारित हो सकता है जैसे:

चरण-1: निम्नलिखित में से किसी/सभी मापदंडों के आधार पर आवेदनों की प्रारंभिक जांच (1 (न्यूनतम) से 5 (उच्चतम) की सीमा में अंकन):

1. **नवाचार स्तर** - उपरोक्त तालिका के **बिंदु 1** पर नवीनता का संदर्भ लें।
2. **व्यवसाय की प्रासंगिकता** – **बिंदु 2** देखें
3. **तकनीकी व्यवहार्यता, संभावित प्रभाव, शामिल जोखिम और शमन** - **बिंदु 3** देखें
4. **टीम संरचना** - **बिंदु 4** देखें
5. **वित्तीय व्यवहार्यता** – **बिंदु 5** देखें

चरण -1 में अंकों की गणना इस प्रकार की जा सकती है: (एस*0.15) + (पी*0.15) + (क्यू*0.2) + (टी*0.1) + (वी*0.1)।
उपरोक्त 5 मानदंडों के लिए कुल अंकों का 70% चरण-2 के लिए अर्हक अंक होगा अर्थात न्यूनतम 49 अंक।
चरण-2: प्रस्तुति और व्यक्तिगत बातचीत – चरण-1 में आवेदनों की प्रारंभिक जांच के बाद, शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदनों को स्टार्ट-अप समिति के साथ विस्तृत चर्चा के लिए व्यक्तिगत बातचीत और प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
चर्चा के आधार पर 1 (न्यूनतम) से 5 (उच्चतम) तक की श्रेणी में अंक निम्नलिखित में से **किसी/सभी** मापदंडों के आधार पर दिए जा सकते हैं:

1. **नवाचार स्तर** - उपरोक्त तालिका के **बिंदु 1** पर नवीनता का संदर्भ लें।
2. **व्यवसाय की प्रासंगिकता** – **बिंदु 2** देखें
3. **तकनीकी व्यवहार्यता, संभावित प्रभाव, शामिल जोखिम और शमन - बिंदु 3** देखें
4. **टीम संरचना - बिंदु 4** देखें
5. **वित्तीय व्यवहार्यता - बिंदु 5** देखें
6. **योजना एवं प्रस्तुति - बिंदु 6** देखें

चरण-2 में अंकों की गणना इस प्रकार की जा सकती है: (एस*0.15) + (पी*0.15) + (क्यू*0.2) + (टी*0.1) + (वी*0.1) + (डब्ल्यू*0.3)।

सभी मानदंडों के लिए कुल अंकों का 70% स्टार्ट-अप के चयन के लिए अर्हक अंक, अर्थात न्यूनतम 70 अंक होगा।

किसी भी स्तर पर 70% की सीमा को स्टार्टअप समिति द्वारा आवेदकों की अनुपलब्धता जैसी परिस्थितियों के आधार पर अपने विचार से बदला जा सकता है।

ग. परियोजना निष्पादन और सहयोग के लिए दृष्टिकोण

परियोजना कार्यान्वयन का दृष्टिकोण निम्नलिखित तीन में से कोई भी हो सकता है:

- **आंतरिक संसाधनों के माध्यम से सहायता प्रदान करना-**
  इस दृष्टिकोण में एमएसटीसी के आंतरिक संसाधनों के साथ मिलकर परियोजना निष्पादन की योजना बनाई जा सकती है। यह दृष्टिकोण उन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त हो सकता है जो एमएसटीसी की मुख्य शक्तियों और कार्यक्षेत्र के अनुभव का लाभ उठाते हैं। इस दृष्टिकोण में शैक्षणिक क्षेत्र और स्टार्ट-अप दोनों व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से भाग ले सकते हैं।
- **शैक्षणिक क्षेत्र /शोध संस्थानों द्वारा प्रस्तावित परियोजना** –
  इस दृष्टिकोण में, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले शैक्षणिक संस्थान मसलन प्रतिष्ठित आईआईटी/आईआईएम/एनआईटी आदि या प्रतिष्ठित शोध संस्थानों के साथ सहयोग की योजना बनाई जा सकती है। यह दृष्टिकोण उन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त हो सकता है जो कल्याणकारी प्रकृति वाले हों, लक्ष्य योजना को पूरा करते हों या उत्पाद या प्रौद्योगिकी एमएसटीसी के लिए पूरी तरह से नई और अज्ञात हो। चूंकि एमएसटीसी के पास ऐसी परियोजनाओं में योगदान देने के लिए अनुभव बहुत कम है, इसलिए उत्पाद या योजना का पूरा/अधिकांश कार्यान्वयन शैक्षणिक संस्थानों के मार्गदर्शन के साथ अन्य पक्ष द्वारा किया जाएगा।
- **स्टार्ट-अप कंपनियों द्वारा प्रस्तावित परियोजना –**
  इस दृष्टिकोण में, पहले बताई गई चयन प्रक्रिया के माध्यम से जांची गई स्टार्टअप कंपनियों के साथ सहयोग की योजना बनाई जा सकती है। यह दृष्टिकोण उन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त हो सकता है जिनकी योजना, उत्पाद या प्रौद्योगिकी अद्वितीय हो तथा जिनमें आशाजनक संभावनाएं हों। चूंकि एमएसटीसी के पास ऐसी परियोजनाओं में योगदान देने के लिए अनुभव बहुत कम है, इसलिए उत्पाद या योजना का पूरा/अधिकांश कार्यान्वयन स्टार्टअप द्वारा किया जाएगा । हालाँकि, एमएसटीसी 3क(iv) के अनुसार संसाधनों की पेशकश करके सहयोग कर सकता है।

घ. निगरानी एवं शासन

1. प्रगति समीक्षा: परियोजना की प्रगति की आवधिक समीक्षा, स्टार्टअप समिति द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति के अनुसार अंतराल पर तथा प्रारंभ में तय किए जाने वाले लक्ष्यों के अनुसार मापी या जांची जाएगी।

2. भुगतान जारी करने के लिए चयनित फर्म को विशिष्ट परियोजना-आधारित लक्ष्य हासिल करने की आवश्यकता है। लक्ष्य इस प्रकार हो सकते हैं - क) सहमति के अनुसार लक्ष्यों और अनुसूची के साथ परियोजना और उत्पाद योजना प्रस्तुत करना, ख) उत्पादन लक्ष्य1, 2, 3 आदि प्राप्त करना, ग) उत्पाद एकीकरण और सफलतापूर्वक प्रदर्शन आदि।

ङ. समापन

1. **ज्ञान हस्तांतरण:** परियोजना के सफल समापन के बाद, सभी डिजाइन, ब्लूप्रिंट, लेखन, मैनुअल और अन्य दस्तावेज पार्टी द्वारा एमएसटीसी को पूरी तरह से हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।
2. **बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर):** अभिनव उत्पाद/सेवा/प्रक्रिया/विचार का स्वामित्व और कॉपीराइट/आईपीआर संविदा या समझौते पर हस्ताक्षर करते समय पारस्परिक रूप से तय किया जाएगा।
3. **लाभ - साझाकरण:** अवधारणा/विचार के सफल व्यवसायीकरण के बाद लाभ साझा करने का फार्मूला संविदा या समझौते पर हस्ताक्षर करते समय एमएसटीसी और स्टार्टअप/एजेंसी के बीच पारस्परिक रूप से तय किया जाएगा।

4. **समाप्ति**: एमएसटीसी को परियोजना के किसी भी चरण के दौरान संविदा और परियोजना को समाप्त करने का अधिकार होगा, यदि उसे परियोजना में कोई भावी उपयोगिता नहीं दिखता हो। ऐसे मामले में भी, पार्टी को अब तक प्राप्त जानकारी और सामग्री एमएसटीसी को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है।

च. परियोजनावार निधि आवंटन की सीमा

1. पूर्ण आवंटित बजट का उपयोग किसी एक परियोजना में नहीं किया जाएगा

2. अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक को स्टार्टअप समिति द्वारा चयनित परियोजना के लिए निधीयन को मंजूरी देने का अधिकार है।

4.0 संदर्भ:

भारत सरकार और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की कुछ स्टार्टअप पहलों के संदर्भ नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

1. डीपीआईआईटी (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) का स्टार्टअप इंडिया हब:
स्टार्टअप इंडिया हब स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों के लिए एक ऐसा मंच है जहां वे एक-दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, ज्ञान का आदान-प्रदान कर सकते हैं और अत्यंत सक्रिय वातावरण में सफल साझेदारी बना सकते हैं। डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकते हैं: https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/startup-scheme.html

2. एनएमडीसी इनोवेशन और इनक्यूबेशन सेंटर (एनआईसीई):
गहन प्रौद्योगिकी में नए नवीन विचारों के साथ स्टार्ट-अप कंपनियों को बढ़ावा देने, विकसित करने और पल्लवित करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, आई-टीआईसी फाउंडेशन आईआईटी हैदराबाद और एनएमडीसी लिमिटेड ने सहयोगी प्रयासों के साथ तकनीकी उद्यमियों के लिए स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया। इस योजना ने एनएमडीसी इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर (एनआईसीई) को जन्म दिया। अधिक जानकारी के लिए www.niceprogram.in पर जाएं।

3. गेल में स्टार्टअप पहल:
https://gailebank.gail.co.in/GSUICBG/index.aspx

4. ओएनजीसी में स्टार्टअप पहल :
https://startup.ongc.co.in/

5. आईओसीएल में स्टार्टअप पहल:
https://dpe.gov.in/sites/default/files/IndianOil_Start_Up.pdf
https://iocl.com/NewsDetails/40597
http://www.nrdcindia.com/NationalProjectDetail/2

6. इन्फोसिस में स्टार्टअप पहल:
https://www.infosys.com/about/innovation-fund/overview.html
https://www.infosys.com/about/innovation-fund.html

7. सी-डैक में स्टार्टअप पहल:
https://www.cdac.in/index.aspx?id=project_details&projectId=DesignDevelopmentandImplementationofPortalandProjectManagementSystemforChipstoStartup(C2S)Programme
https://www.cdac.in/index.aspx?id=pk_itn_spot1275

8. टीसीएस में पल्लवन पहल:
https://www.tcs.com/who-we-are/newsroom/tcs-in-the-news/tcs-incubation